Knowledgeable Research (An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal) **ISSN 2583-6633**
Available Online: http://knowledgeableresearch.com Vol.04, No.10, October,2025

रौलट सत्याग्रह, महात्मा गांधी तथा मुस्लिम

* **डॉ. नेहा आफरीन तथा डॉ. शामराव कोरेटी**
स्नातकोत्तर इतिहास विभाग
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर

****

Abstract: *रौलट ऐक्ट एक अन्यायपूर्ण कानून था। युद्ध के बाद फैली अंग्रेज विरोधी भावनाओं को दबाने के लिए तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित रखने के लिए इस ऐक्ट को लाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विशेष रूप से भारत का मुस्लिम समाज अंग्रेजों से रुष्ट था। तुर्की के खलीफा का अपमान करने तथा तुर्की के प्रभाव वाले क्षेत्र उससे छीन लेने के कारण मुसलमानों में घोर निराशा थी। ऐसे में इस निराशा के माहौल को नियंत्रित करने और मुसलमानों बढ़ रही में अंग्रेज विरोधी भावनाओं को दबाने के लिए इस ऐक्ट को लाया गया था। अतः मुसलमानों द्वारा इसका विरोध किया गया। जब गांधीजी ने क्रूर रौलट ऐक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह का आव्हान किया तब मुसलमान बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए। देश के लगभग प्रत्येक प्रांत के मुसलमानों ने इसमें भाग लिया। इस दौरान हिन्दू-मुस्लिम एकता देखने को मिली जो इस दौरान अपने शिखर पर थी। हम देखते हैं कि गांधीजी तथा अन्य प्रमुख हिन्दू नेताओं को मस्जिद में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया तथा मुस्लिम श्रोताओं द्वारा उन्हें सुना गया। इतिहास में इस तरह की घटना काम ही देखने को मिलती है। गांधीजी के विचारों से प्रेरित होकर इस सत्याग्रह में मुसलमानों ने पूरे दिल से भाग लिया। इस दौरान कई मुसलमान पुलिस की गोली का निशाना भी बने और देश के नाम पर शहीद हो गए।*

Keywords: *मुस्लिम, रौलट ऐक्ट, रौलट सत्याग्रह, गांधीजी*

****

प्रस्तावना:

रौलट सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी। इस सत्याग्रह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक अभिजात वर्ग के आंदोलन से एक जन आंदोलन में रूपांतरण हुआ। खिलाफत मुद्दे और उसके अनिश्चित भविष्य से व्यथित मुसलमानों ने बड़ी संख्या में सत्याग्रह में भाग लिया। मुसलमानों की भागीदारी के बिना सत्याग्रह को व्यापक जनाधार प्राप्त नहीं होता। इस सत्याग्रह ने गांधीजी को राष्ट्रीय मंच पर लाकर खड़ा कर दिया था। इसके साथ आगे आने वाले आंदोलनों के लिए दिशा निश्चित की गई। इस शोधपत्र में रौलट ऐक्ट के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया देश का पहला जन-आंदोलन तथा उसमें मुसलमानों की भूमिका को सामने लाने का प्रयास किया गया हैं।

रौलट ऐक्ट सत्याग्रह की पार्श्वभूमी

रौलट ऐक्ट भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य के अंग्रेज सरकार द्वारा निर्मित कानून था। सिडनी रौलट की अध्यक्षता में राजद्रोह समिति की सिफारिश पर इसे बनाया गया था, इसलिए इसे रौलट ऐक्ट नाम दिया गया। हालांकि रौलट ऐक्ट कोई नया कानून नहीं बल्कि 1915 के भारत रक्षा अधिनियम का ही एक विकसित रूप था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया गया था।

नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था अतः भारत रक्षा अधिनियम भी समाप्त होने वाला था। युद्ध काल में फैली अराजकता और क्रांतिकारी गतिविधियों को लेकर अंग्रेजों को चिंता महसूस हुई। अतः इसका उपाय ढूँढने तथा युद्ध के बाद खास तौर पर भारत रक्षा अधिनियम की अवधि के समाप्त होने के बाद भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए सिडनी समिति की नियुक्ति की गई थी। सिडनी रौलट की अध्यक्षता वाली राजद्रोह समिति ने युद्धकालीन भारत रक्षा अधिनियम को ही एक मात्र उपाय

मानकर इसे अनंत काल के लिए जारी रखने की सिफारिश की और ब्रिटिश सरकार द्वारा, भारतीय विरोध के बावजूद, इसे जल्दबाजी में 18 मार्च, 1919 में पारित कर दिया गया। इसका सरकारी नाम अराजक तथा क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, 1919 (The Anarchical and Revolutionary Crime Act of 1919) था।

इस कानून के तहत व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय को राजद्रोह के शक के आधार पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे 2 साल के लिए जेल में बंद कर सकती थी। राजद्रोह के मुकद्दमें की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया गया। राजद्रोह के मुकद्दमें में जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो गया । मुकद्दमें के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था । साथ ही इस अधिनियम के तहत बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार छीन लिए गए थे, अतिवादी प्रकाशनों पर नियंत्रण तथा सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे।

क्रांतिकारी गतिविधियों तथा युद्धोत्तर काल में फैली ब्रिटिश विरोधी अराजकतावादी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ही समाप्त कर दिया था। अंग्रेज सरकार चाहती थी कि कोई भी ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में भाग न ले।

रौलट ऐक्ट के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रारंभ हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की कि जो सरकार शांतिकाल में ऐसा कानून बनाती है, वह सभ्य सरकार कहलाने का अपना दावा खो देती है। मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मज़रूल हक ने इसके प्रतिवाद में केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। इस कानून को भारतीयों ने काला कानून कहा। इस कानून के विरोध में देशव्यापी हड़तालें, जूलूस और प्रदर्शन होने लगे।

रौलट ऐक्ट तथा महात्मा गांधी

रौलट समिति की रिपोर्ट ने गांधीजी को काफी हैरान कर दिया था। रिपोर्ट में आपराधिक कानून में संशोधन की सिफ़ारिश की गई थी। इन सिफ़ारिशों ने गांधीजी को चौंका दिया। उन्होंने इसे "अन्यायपूर्ण, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को तोड़ने वाला, और व्यक्ति के मूलभूत सिद्धांतों को नष्ट करने वाला" बताया। गांधीजी ने इसका विरोध करने का फैसला किया।

इस समय तक महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के एक प्रमुख व्यक्तित्व बन गए थे। दक्षिण अफ्रीका में उनकी सफलता ने उन्हें भारत में भी लोकप्रिय बना दिया था। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में अपनाए गए सत्याग्रह रूपी हथियार का प्रयोग एक बार फिर उन्होंने रौलट ऐक्ट के विरोध में करने का निश्चय किया।

रौलट ऐक्ट के विरोध में महात्मा गाँधी ने व्यापक हड़ताल का आह्वान किया। रौलट सत्याग्रह गांधीजी के द्वारा किया गया राष्ट्रीय स्तर का प्रथम आंदोलन था। 24 फरवरी 1919 के दिन गांधीजी ने मुंबई में एक "सत्याग्रह सभा" का आयोजन किया था और इसी सभा में तय किया गया और कसम ली गई थी कि रौलट ऐक्ट का विरोध 'सत्य' और 'अहिंसा' के मार्ग पर चलकर किया जाएंगा।

14 मार्च 1919 को मुंबई शहर में रॉलेट एक्ट के विरोध में एक बैठक हुई। अस्वस्थता के कारण, महात्मा गांधी का भाषण उनके सचिव ने पढ़ा जिसमें कहा कि रौलट ऐक्ट भारतीय नागरिकों के लिए भेदभावपूर्ण और अपमानजनक है। उन्होंने तर्क दिया कि सत्याग्रह समय की मांग है क्योंकि निष्क्रिय प्रतिरोध के इस तरीके में "अद्वितीय शक्ति" है। उन्होंने दमनकारी अधिनियम के विरुद्ध शांतिपूर्ण लेकिन सतत लड़ाई की वकालत की और उनका मानना था कि इस कठिन लड़ाई को दृढ़ निश्चय से जीता जा सकता है। सत्याग्रह की तारीख 30 मार्च को तय की गई लेकिन बाद में इसे बदलकर 6 अप्रैल कर दिया गया। गांधीजी ने सत्याग्रह के प्रचार का कार्य शुरू किया। देशव्यापी हड़ताल, उपवास एवं प्रार्थना सभाएं आयोजित करने का फैसला किया। इस तरह गांधीजी के नेतृत्व में देश का पहला जन आंदोलन रौलट

ऐक्ट सत्याग्रह देश भर में शुरू किया गया और बड़े पैमाने पर मुसलमानों ने इसमें भाग लिया।

रौलट सत्याग्रह, महात्मा गांधी तथा मुस्लिम

प्रथम विश्वयुद्ध 11 नवंबर, 1918 को समाप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय मुसलमानों को बहुत दुख हुआ जब उन्हें दिए गए आश्वासनों के विपरीत, ऑटोमन साम्राज्य को विभाजित कर दिया गया। इसलिए, भारतीय मुसलमानों को स्वाभाविक रूप से तुर्की के खलीफा के पद और सम्मान को लेकर बहुत चिंता महसूस हुई। भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार को समझाने के लिए हर संभव प्रयास किया कि मुसलमानों के पवित्र स्थानों का आधिपत्य तुर्की को सौंप दिया जाए, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल रहे।

1919 की शुरुआत में खिलाफत के अनिश्चित भविष्य के कारण भारतीय मुसलमानों में व्यापक ब्रिटिश-विरोधी भावनाएँ देखी गईं। ऐसे में जब भारतीय मुसलमान बहुत चिंतित तथा विचलित थे और प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद जब सभी भारतीय संवैधानिक सुधारों का इंतज़ार कर रहे थे, तब अंग्रेजों ने भारत में आतंकवादी गतिविधियों को दबाने के नाम पर भारतीयों के मौलिक अधिकारों का हनन करने के लिए 'रौलट ऐक्ट' पास किया।

पूरे देश में इस अधिनियम के विरुद्ध आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी। सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस अधिनियम का कड़ा विरोध किया। गांधीजी ने इस अधिनियम के विरुद्ध एक सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिए एक 'सत्याग्रह समिति' का गठन किया। रॉलेट सत्याग्रह के आयोजन में गांधीजी ने कुछ अखिल भारतीय इस्लामी समूहों का उपयोग करने का प्रयास किया। इसके लिए गांधीजी ने लखनऊ के फिरंगी महल के अब्दुल बारी से संपर्क स्थापित किया और अब्दुल बारी ने सत्याग्रह का समर्थन करने का फैसला किया। अब्दुल बारी के समर्थन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।

एक बार जब सत्याग्रह शुरू हुआ, तो जैसी कि उम्मीद थी, मुसलमानों ने इसमें बड़ी संख्या में भाग लिया। 30 मार्च और 6 अप्रैल, 1919 को भारत के अधिकांश नगरों में हड़ताल की गई। बड़े पैमाने पर उलेमा वर्ग तथा मुसलमान गांधीजी के द्वारा शुरू किये गए रौलट ऐक्ट विरोधी सत्याग्रह में शामिल हो गए।

दिल्ली में 30 मार्च को हड़ताल हो गई। दिल्ली में इससे पहले ऐसी हड़ताल कभी नहीं हुई थी - हिंदू और मुसलमान एकमत दिख रहे थे। शेष भारत में 6 अप्रैल को हड़ताल हुई। दिल्ली में मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खान, इंकलाब समाचार पत्र के संपादक आसिफ हुसैन हासवी और कौम के संपादक काज़ी अब्बास हुसैन ने इस सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

मुख्तार अहमद अंसारी दिल्ली में रौलट ऐक्ट सत्याग्रह के केंद्रबिंदु थे। वे गांधीजी के प्रमुख सहयोगी, सत्याग्रह सभा के प्रथम अध्यक्ष और सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनका घर कई महत्वपूर्ण बैठकों का स्थल था। उन्होंने अजमल खान, हसरत मोहानी, आसफ अली, अब्दुर रहमान, आरिफ हुसैन हासवी और शुएब कुरैशी को रौलट ऐक्ट सत्याग्रह में शामिल होने के लिए प्रभावित किया। फरवरी से अप्रैल के महीनों के दौरान उनकी सेवा लोकप्रिय उत्साह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित हुई।

अजमल खान की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं थी। सत्याग्रह के दौरान उनका शब्द दिल्ली में कानून बन गया था। अब्दुल बारी, अंसारी के आध्यात्मिक गुरु और अली बंधुओं के पीर, गांधीवादी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण अनुयायी थे। गांधीजी के साथ उनकी समझ और आंदोलन में उनकी उपस्थिति ने आंदोलन में अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया।

दिल्ली के पास हरियाणा में भी मुसलमानों ने रौलट सत्याग्रह में भाग लिया। दिल्ली के मौलवी बशीर अहमद ने रोहतक के मुसलमानों को सत्याग्रह में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और देशभक्तिपूर्ण भाषण दिए। रोहतक जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य मुस्ताक हुसैन, जो पेशे से एक वकील थे, ने सक्रिय

रूप से भाग लेकर जिले के अन्य मुसलमानों को इस सत्याग्रह में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आंदोलन के दौरान वह बैठकें आयोजित करने और भाषण देने में सक्रिय थे।

पंजाब के पत्रकार ज़फ़र अली खान ने देशप्रेम से परिपूर्ण कविताएं लिखकर मुसलमानों को जागृत करने एवं हिन्दू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया। अमृतसर में हिन्दू-मुसलमान-सिखों के बीच अभूतपूर्व एकता देखने को मिली, जिसने अंग्रेजों को चिंतित किया।

बम्बई में निर्धारित दिन पर सभी दुकानें बंद रहीं। शहर में हुए जुलूस में मुसलमान बड़ी संख्या में शामिल हुए और बंबई में हड़ताल पूरी तरह सफल रही। 6 अप्रैल को बंबई में आयोजित जुलूस में मुसलमान बड़ी संख्या में शामिल हुए। वे गांधीजी और सरोजिनी नायडू को पास की एक मस्जिद में ले गए और उन्हें भाषण देने के लिए राजी किया। आमतौर पर एक महिला का मस्जिद में जाकर भाषण देना अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना थी और इसके बाद तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। कई मौकों पर हिन्दू नेताओं ने मस्जिद में और मुस्लिम उलेमाओं ने मंदिर में जाकर भाषण दिए। इस दौरान हिन्दू-मुस्लिम एकता अपने शिखर पर थी।

बंगाल में हड़ताल के मुख्य केंद्र ढाका और कलकत्ता थे, जो मुख्यतः मुस्लिम बहुल केंद्र थे। बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, छापरा, मुंगेर और गया में हड़ताल हुई, जो मुख्यतः मुस्लिम बहुल केंद्र थे। कलकत्ता के हिन्दू व मुसलमानों ने मिलकर सत्याग्रह में भाग लिया। 11 अप्रैल, 1919 को कलकत्ता की नाखुदा मस्जिद में हिन्दू और मुसलमानों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया।

उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों ने आंदोलन में भाग लिया। गोरखपुर में एक स्थानीय नेता शाकिर अली, जो एक वकील थे, ने आंदोलन को दूर-दूर तक पहुंचाने का काम किया। रौलट अभियान के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ते सौहार्दपूर्ण संबंधों का एक अच्छा उदाहरण वाराणसी में भी देखने को मिला। 13 अप्रैल को ज्ञानवापी मस्जिद के खुले मैदान में एक विशाल सभा हुई जिसमें दोनों समुदायों के नेताओं ने भाग लिया।

ब्रिटिश सरकार ने सत्याग्रह के विरुद्ध कठोर दमन प्रक्रिया शुरू की। 30 मार्च, 1919 को दिल्ली में पुलिस ने सत्याग्रहियों पर गोली चलाई, जिसके कारण अब्दुल गनी, हशमत उल्लाह खान, मोहम्मद दीन और अब्दुल करीम मीर बख्श शहीद हो गए। 4 अप्रैल को शुक्रवार के दिन जामा मस्जिद में सामूहिक नमाज़ के बाद स्वामी श्रद्धानंद को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। स्वामीजी ने आमंत्रण को स्वीकार कर जामा मस्जिद में मुसलमानों को संबोधित करते हुए भाषण दिया और पवित्र वेद की ऋचा पढ़ी।

सत्याग्रह की लोकप्रियता को देखते हुए अंग्रेज सरकार द्वारा सतयग्राहियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए गए। कई स्थानों पर अहिंसक सत्याग्रहियों पर पुलिस द्वरा लाठीचार्ज व गोलीबारी की गई। 10 अप्रैल, 1919 को अमृतसर में पुलिस की गोलीबारी से शेर अली, साहब खान, शेर खान, मोहम्मद शफ़ी और शेरबाज खान शहीद हो गए। इस प्रकार रौलट ऐक्ट के विरुद्ध चलाए गए सत्याग्रह में मुसलमानों ने भाग लिया। सत्याग्रह में भाग लेने के कारण कई मुसलमानों को जेल में बंद किया गया और कुछ पुलिस की गोली का निशाना बने।

सत्याग्रह के दौरान हमें देश के अलग-अलग भागों में हिंसा की कुछ घटनाएं भी देखने को मिली। गांधीजी ने लोगों से बार-बार शांति बनाए रखने और सरकार की कार्रवाई से हिंसा न भड़काने का आग्रह किया। इसके बावजूद, कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी। अहमदाबाद और पंजाब में भी अशांति फैली और उन्होंने इन जगहों पर जाकर अहिंसा का प्रचार करने का फैसला किया।

पंजाब जाते समय उन्हें पलवल नामक एक स्टेशन पर गिरफ़्तार कर लिया गया और वापस बम्बई भेज दिया गया। गांधीजी ने महसूस किया की भारत के लोग अभी भी अहिंसा के विषय में दृढ़ रहने के लिए तैयार नहीं हैं इसलिए उन्होंने सत्याग्रह वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि वे प्रायश्चित के

रूप में तीन दिन का उपवास रखेंगे और उन्होंने सभी लोगों से एक दिन का उपवास करने की अपील की। उन्होंने हिंसा के दोषियों से अपना अपराध स्वीकार करने को कहा। उन्होंने लोगों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिए बिना ही सत्याग्रह बहुत जल्दी शुरू करने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा, 'मैंने हिमालय जैसी बड़ी गलती कर दी है।' इसके बाद गांधीजी ने लोगों को सत्याग्रह का सही अर्थ और उसे कैसे चलाया जाना चाहिए, यह सिखाना शुरू किया। लेखन और भाषणों के माध्यम से, वह लोगों को अपने नए सिद्धांत का सार समझाना चाहते थे।

क्रूर रौलट ऐक्ट के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी जन-आंदोलन एक राजनीतिक मोड़ साबित हुआ। हिंसक दमन के बावजूद, यह भारतीय जनमत को एकजुट करने और गांधीजी के नेतृत्व में स्वशासन के संघर्ष को गति देने में सफल रहा। इस घटना ने सत्याग्रह के नैतिक साहस के साथ-साथ अन्यायपूर्ण औपनिवेशिक शासन को ध्वस्त करने और भारतीय आवाज़ों को सशक्त बनाने की तात्कालिकता पर भी प्रकाश डाला। रौलट सत्याग्रह की गूंज ने स्वराज प्राप्ति की नींव रखी।

1920 तक, लगातार विरोध के कारण, अंग्रेजों को रौलट ऐक्ट को निरस्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालाँकि, कई लोगों ने इसे देर से लिया गया कदम माना, लेकिन लोगों की माँगों के प्रति इस आंशिक समर्पण को नागरिक स्वतंत्रता की जीत के रूप में देखा गया। इसने भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित भी किया।

निष्कर्ष

इस प्रकार रौलट सत्याग्रह में मुसलमानों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्रूर रौलट ऐक्ट के विरुद्ध शुरू किए गए गांधीजी के इस सत्याग्रह को मुस्लिम समर्थन के बाद ही एक जन आंदोलन का दर्जा मिला। अजमल खान, हसरत मोहानी, मुख्तार अहमद अंसारी तथा अब्दुल बारी जैसे प्रमुख मुस्लिम नेताओं के समर्थन ने आम मुसलमानों को भी इस सत्याग्रह से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। हड़ताल, प्रदर्शन तथा बहिष्कार के द्वारा मुसलमानों ने इस सत्याग्रह में भाग लिया तथा अन्यायपूर्ण रौलट ऐक्ट के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की। सत्याग्रह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों का गुस्सा मुसलमानों पर फुटा तथा कई स्थानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोलीबारी की घटना भी हुई जिसमें कई मुसलमान शहीद हुए।

सन्दर्भ सूची

1. *मोहम्मद अहमद सिद्दीकी, तहरिके आज़ादीये हिन्द और मुसलमान, इदारा सुब्बे वतन, गोरखपुर, 1998, पृ. 37*
2. *सुमित सरकार, आधुनिक भारत 1885-1947, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002, पृ. 207*
3. *https://en.wikipedia.org/wiki/Rowlatt_Act Accessed on 14 October, 2025.*
4. *Rowlatt Act - Wikipedia Accessed on 14 October 2025.*
5. *https://www.mkgandhi.org/storyofg/chap17.php Accessed on 14 October, 2025.*
6. *https://indianculture.gov.in/digital-district-repository/district-repository/speech-rowlatt-act-1919-gandhi Accessed on 14 October, 2025.*

7. पी. एन. चोपड़ा, इंडियन मुस्लिम्स इन फ्रीडम स्ट्रगल, क्राइटीरीअन पब्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली, 1988, पृ. 22
8. बिपिन चंद्र, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली, 2001, पृ 132
9. मोहम्मद अहमद सिद्दीकी, तहरिके आज़ादीये हिन्द और मुसलमान, इदारा सुब्बे वतन, गोरखपुर, 1998, पृ. 37
10. सुमित सरकार, पूर्वोक्त, पृ. 208
11. एम. के. गांधी, द स्टोरी ऑफ माइ एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, अहमदाबाद, 1927, पृ. 383
12. सुमित सरकार, पूर्वोक्त, पृ. 212
13. मुशीरूल हसन, बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया: एम. ए. अंसारी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1995, पृ. 54; डी. अबुल फज़ल, मुस्लिम्स एण्ड द रौलट ऐक्ट सत्याग्रह, प्रोसीडिंगस् ऑफ द इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस, वॉल. 63 (2002), पृ. 733-740 https://www.jstor.org/stable/44158141
14. मुस्लिम्स एण्ड द रौलट ऐक्ट सत्याग्रह, प्रोसीडिंगस् ऑफ द इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस, वॉल. 63 (2002), पृ. 733-740 https://www.jstor.org/stable/44158141
15. हरी सिंघ, नैश्नलिस्ट पॉलिटिक्स एण्ड रौलट सत्याग्रह इन रोहतक डिस्ट्रिक्ट (हरियाणा), प्रोसीडिंगस् ऑफ द इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस, वॉल. 55 (1994), पृ. 515-521 https://www.jstor.org/stable/44143403
16. सुमित सरकार, पूर्वोक्त, पृ. 210
17. एम. के. गांधी, द स्टोरी ऑफ माइ एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, अहमदाबाद, 1927, पृ. 384
18. सुमित सरकार, पूर्वोक्त, पृ. 213
19. जे. पी. मिश्रा, द रौलट सत्याग्रह इन ईस्टर्न उत्तरप्रदेश, प्रोसीडिंगस् ऑफ द इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस, वॉल. 41 (1980), पृ. 502-510 https://www.jstor.org/stable/4414187
20. मोहम्मद अहमद सिद्दीकी, पूर्वोक्त, पृ. 38
21. एस. आर. बक्शी, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स: स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस: स्वामी श्रद्धानंद, न्यू दिल्ली, पृ. 80
22. मोहम्मद अहमद सिद्दीकी, पूर्वोक्त, पृ. 38
23. https://www.mkgandhi.org/storyofg/chap17.php Accessed on 14 October, 2025.

*Corresponding Author: Neha Aafreen
E-mail: nehaaafreen4@gmail.com
Received: 12 September,2025; Accepted: 25 October,2025. Available online: 30 October, 2025
Published by SAFE. (Society for Academic Facilitation and Extension)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License